न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
07/22	एफएसएस एक्ट, 2006	25/08/2022

1. पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।
–आवेदक

बनाम

1. राकेश बंसल पुत्र श्री कैलाश चंद बंसल उम्र 32 वर्ष जाति वैश्य ,निवासी अग्रसेन कॉलोनी ,ओसवाल मिल के पीछे, गंगापुर सिटी (एफबीओ व मालिक) फर्म गायत्री डेयरी, उदेई मोड गंगापुर सिटी।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय   दिनांक:– 04.09.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 25.03.2022 को दोपहर 03:00 पीएम पर मैसर्स गायत्री डेयरी ,उदेई मोड गंगापुर सिटी पर पहुंचा। आवेदक ने मौजूद विक्रेता को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे, तो उसने अपना नाम राकेश बंसल पुत्र श्री कैलाश चंद बंसल उम्र 32 वर्ष जाति वैश्य ,निवासी अग्रसेन कॉलोनी ,ओसवाल मिल के पीछे गंगापुर सिटी होना बताया। आवेदक द्वारा नमूना सं0 एच– 2329 खाद्य वस्तु पनीर 10 किलो फ्रीजर में बिक्री हेतु रखा हुआ था को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त पनीर का नमूना वास्ते जांच देने हेतु विक्रेता से कहा और फार्म 5 ए मौके पर भरकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने विक्रेता की उक्त 10 किलोग्राम पनीर में से 1 किलोग्राम पनीर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता राकेश बंसल पुत्र श्री कैलाश चंद बंसल को रू0 280 (दो सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये 1 किलो पनीर को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूंदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच–2329 दर्ज किया तथा नियमानुसार नमूने की कार्यवाही पूर्ण की तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी।एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेपक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को श्री मौ0असलम वार्ड बॉय के द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/22/825 दिनांक 10.05.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विपलेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1554/ एक्ट/2022/1545 दिनांक 25.04.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर अवमानक पाया गया।

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विपलेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1554/ एक्ट/2022/1545 दिनांक 25.04.2022 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक खाद्य पदार्थ पनीर का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध करवाया जा सके।

न्याय निर्णयन अधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी [illegible] ने उक्त दुकान कुछ ही समय पूर्व चालू की है। अप्रार्थी एक छोटी सी दुकान चलाता है जिसमें बाहर से खाद्य पदार्थ पनीर का क्रय कर उसी अवस्था में विक्रय करता है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। अप्रार्थी उक्त दुकान से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अप्रार्थी बहुत गरीब व्यक्ति है तथा वे मकान में ही एक छोटी सी दुकान कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, साथ ही वकील अभियुक्तगण ने उक्त कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली में संलग्न मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एफएसएल/[illegible]/एफए/2022/1545 दिनांक 25.04.2022 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा बेचा नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर असमानक स्तर का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है साथ ही यदि अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को 10,000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिये चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद अधीन नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को प्राप्त करवाई जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी